

परिपत्र संख्या-

पत्र संख्या-विधि-4(1)परिपत्र भाग-2(10-11)-

1390/10/1054/वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: अक्टूबर 27, 2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

**विषय - व्यापारियों द्वारा रुपपत्र 26 दाखिल करने हेतु दिनांक 31-10-2010 के बाद 90 दिन समय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**

दि उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसियेशन कानपुर ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 25-10-2010 तथा कई व्यापारिक संघों द्वारा मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि व्यापारिक संघों द्वारा प्रान्त के अंचलों में माह सितम्बर -2010 में आयी बाढ़, पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया में व्यापारीगण, अधिवक्ता संघों व चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के व्यस्त रहने के कारण अभी व्यापारियों के लेखों के आडिट पूर्ण नहीं हो पाये हैं जिसके कारण धारा 21(17) के आडिट रिपोर्ट के ई-मेल व हार्ड प्रति के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही भी नहीं हो पायी है। टैक्स आडिट आयकर अधिनियम की धारा 44 ए बी में आडिट कराये जाने हेतु उक्त समस्या के कारण आयकर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने आदेश संख्या-225/72/2010/आई टी ए दिनांक 27-9-2010 से 15 अक्टूबर 2010 तक के लिए समय बढ़ा दिया है। इन परिस्थितिजन्य कार्यों से वर्ष 2009-10 के लिए धारा 24(7) सपठित नियम 45(7) में प्राविधानित समय सीमा अर्थात् दिनांक 31-10-2010 तक रुपपत्र 26, 26ए व 26बी दाखिल किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारक अधिकारी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि 90 दिन तक बढ़ा सकते हैं। कमिश्नर वाणिज्य कर को नियमावली के नियम 4 के उपनियम (5) के अन्तर्गत कर निर्धारक अधिकारी के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। अतः नियमावली के नियम 4 के उपनियम (5) में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए करदाताओं से बिना प्रार्थनापत्र प्राप्त किये ही कर निर्धारण वर्ष 2009-2010 का वार्षिक रिटर्न रुपपत्र 26, 26ए व 26बी दाखिल करने की अन्तिम तिथि 31-10-2010 की सीमा 90 दिन तक बढ़ाये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। कृपया तदनुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें।

26/10/10  
(चन्द्र भानु)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्र0प0सं0एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ( दो प्रतियों में )
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30प्र0
- (5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, 30प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (6) एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2(वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

- (8) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (11) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (14) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जॉन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (15) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य0 गाजियाबाद।
- (16) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (17) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में।
- (18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों।
- (19) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो0185/293 अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
- (21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (22) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (25) मर्चेंट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ।
- (27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (29) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
- (30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ।
- (31) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों/सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)के माध्यम से।
- (32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्प्लेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (33) शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
- (34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
- (35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
- (39) श्री अशोक धवन सी के -24/ कुंजगली, चौक, वाराणसी।
- (40) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
- (41) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- (42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) 30प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
- (43) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
- (44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
- (45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उर प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
- (46) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
- (47) संयोजक, टैक्सेशियों एक्जैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0(रजि0)52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ।
- (48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
- (49) श्री मलिक विजय कपूर चैयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।

(51) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।

(52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।

(53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।

(54) श्री अरुण कुमार अन्नस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।

(55) माननीय अध्यक्ष व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।

(56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।

(57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ० बी०एन० रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।

(58) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।

(59) वैंट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।

(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।

(61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।

(62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)

(63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद

(64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी, उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदार्यौ, यू०पी० ।

(65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।

(66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन्स, आर०डी०सी०-51, राजनगर, गाजियाबाद ।

(67) श्री बी०एन० शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(एस०पी० श्रीवास्तव) 26.10.10

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश ।